न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:—वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 07 / 2018	तारीख रजू 03.07.2018	तारीख निर्णय 24/04/2026

1. हरिकेश पुत्र गप्पूलाल दत्तक पुत्र कुवंर लाल जाति मीना निवासी इसरड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार।

प्रार्थी

बनाम

1. कुवंरलाल पुत्र छुट्टन मीना निवासी इसरड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार।
2. हल्की पत्नि कुंवर लाल मीना निवासी इसरड़ा की झोपड़ी तहसील खण्डार।
3. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

श्री हनुमान प्रसाद चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- यह है कि वाद पत्र आज ही श्रीमान जी के समक्ष पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी—पूरी उम्मीद है।
- यह है कि प्रार्थी के दत्तक पिता कुवर लाल व दत्तक माता हल्की के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं होने के कारण आज से करीब 21 वर्ष पहले मुझ प्रार्थी को जाति विरादरी रिवाज अनुसार भोतिक रूप से मेरे दत्तक पिता व माता ने गोद लिया तथा मुझ प्रार्थी को मुझ प्रार्थी के दत्तक पिता ने प्राकृतिक पुत्र के समस्त अधिकार प्रदान किये। जिसके अनुसरण में प्रार्थी के दत्तक पिता कुंवरलाल ने मुझ प्रार्थी की दत्तक माता हल्की की सहमति से मुझ प्रार्थी के हक में गोदपत्र (गोदनामा) दिनांक 28.05.2012 को तहरीर करवाया जिस पर प्रार्थी की दत्तक ग्रहिता माता हल्की ने सहमति हस्ताक्षर बावत अगूंठा निशानी कर प्रार्थी के हक में उक्त गोद पत्र को रजिस्टर्ड करवाया।
- यह कि प्रार्थी आज से करीब 21 वर्ष पहले से प्रार्थी के दत्तक माता पिता के पास रहकर प्राकृतिक पुत्र की भाँति प्रार्थी अपने दत्तक माता की सेवा सुश्रूषा करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपने दत्तक पिता व माता की समस्त कृषि भूमि पर काबिज रहकर उसमें काश्त करता चला आ रहा है।
- यह कि प्रार्थी के दत्तक पिता कुंवर लाल के नाम की हिस्से 1/6 भाग की खातेदारी भूमि ख० नं0 653 / 261 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा वांके ग्राम इसरड़ा तथा प्रार्थी के दत्तक पिता के नाम की खातेदारी ख0नं0 669 / 326 रकबा 14 विस्वा भूमि वांके ग्राम इसरड़ा में स्थित है तथा ... 1/3 की खातेदारी भूमि ख० नं0 995/210 रकबा 3 बीघा वांके ग्राम ...डी... स्थित है तथा प्रार्थी के दत्तक माता के नाम की खातेदारी भूमि ख० नं० 287 ... 6 बीघा 2 विस्वा में से 2 बीघा भूमि वांके ग्राम इसरड़ा में स्थित है।
- प्रार्थी के दत्तक पिता व माता के नाम की उक्त समस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी समस्त दायित्व प्राकृतिक पुत्र की भाँति निभाता आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

- यह कि प्रार्थी के दत्तक माता–पिता पुत्री पूजा के बहकावे में आकर उक्त कृषि भूमि को रहन, बैचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रार्थी के दत्तक माता–पिता ने दिनांक 02.06.2018 समय सुबह 8.00 बजे प्रार्थी को धमकी दी कि इस जमीन को बेचकर प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करके रहेगें। जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक हक अधिकार हॉसिल नहीं है तथा प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात है।
- यह कि अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि को बेचान कर खुर्द–बुर्द कर प्रार्थी को बेदखल करने का कोई वैधानिक हक अधिकार हॉसिल नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी को विधिक हक अधिकार प्राप्त है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी के समक्ष एक मात्र यही विकल्प है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण लेकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर घोषणा इस अमर की करावें कि उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तगार है, घोषित किया जावें तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें। यही कारण है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया ।
- यह कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है।
- यह कि अप्रार्थी सं0 3 सरकार लैण्ड होल्डर दावा हाजा में आवश्यक पक्षकार होने से फॉरमल पक्षकार बनाये गयें है।
- यह कि प्रथम द्रष्टा मामला सुख सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी सिद्ध है।
- यह कि प्राइमा फेसाई केस एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।
- यह कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचकर प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर प्रार्थी को प्राप्त विधिक हक अधिकारों से वंचित कर देगें तथा मुकदमें बाजी में उलझकर खर्चे से जेर वार होना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति रूपयों सभव नहीं है । इसलिये ता: फेसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।
- अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर. टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ता: फेसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख० नं0 653／261 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वांके ग्राम इसरड़ा तथा खातेदारी भूमि ख0नं0 669／326 रकबा 14 बिस्वा भूमि स्थित ग्राम इसरड़ा तथा हिस्सा 1／3 भाग की खातेदारी भूमि ख० नं0 995／210 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम कुरेड़ी तथा खातेदारी भूमि ख० नं० 287 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि स्थित ग्राम इसरड़ा को किसी भी व्यक्ति को बेचान नहीं करें ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करें। अप्रार्थीगण रेवन्यू रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उप[illegible] रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण [illegible] ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया [illegible] बहस हेतु नियत की गई। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगाने पर [illegible] नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:54 IST
Reason: Self Attested

3. प्रार्थी वकील द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है प्रार्थी के दत्तक पिता कुवर लाल व दत्तक माता हल्की के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

होने के कारण कुंवरलाल ने मुझ प्रार्थी की दत्तक माता हल्की की सहमति से मुझ प्रार्थी के हक में गोदपत्र (गोदनामा) दिनांक 28.05.2012 को तहरीर करवाया जिस पर प्रार्थी की दत्तक ग्रहिता माता हल्की ने सहमति हस्ताक्षर बावत अगूंठा निशानी कर प्रार्थी के हक में उक्त गोद पत्र को रजिस्टर्ड करवाया। अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि को बेचान कर खुर्द–बुर्द कर प्रार्थी को बेदखल करने का कोई वैधानिक हक अधिकार हॉसिल नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर. टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताः फेसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि ख० नं0 653/261 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा वांके ग्राम इसरड़ा तथा खातेदारी भूमि ख0नं0 669/326 रकबा 14 विस्वा भूमि स्थित ग्राम इसरड़ा तथा हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी भूमि ख० नं0 995/210 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम कुरेड़ी तथा खातेदारी भूमि ख० नं० 287 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा में से 2 बीघा भूमि स्थित ग्राम इसरड़ा को किसी भी व्यक्ति को बेचान नहीं करें ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करें। अप्रार्थीगण रेवन्यू रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्बत् 2071–2074 ख०नं0 653/261 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा मे से अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, ख0नं0 669/326 रकबा 14 विस्वा अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा स्थित ग्राम इसरड़ा तथा ग्राम कुरेड़ी में स्थित जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075 ख० नं0 995/210 रकबा 3 बीघा मे से अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 तथा ग्राम ईसरड़ा में स्थित जमाबन्दी 2071–2074 ख० नं० 287 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा में से अप्रार्थी संख्या 02 की 02 बीघा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा गोदपत्र दिनांक 22.05.2012 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को गोद लिया गया है। प्रार्थी द्वारा विवादित आरजी पर दत्तक पुत्र होने के नाते विधिक हक अधिकार प्राप्त होने का तर्क किया गया है। किन्तु सन्तान को पिता की केवल पैतृक आराजी में जन्म से अधिकार प्राप्त होते है। स्वअर्जित आराजी में सन्तान को जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नहीं किया गया है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075 खसरा नम्बर 995/210 अनुसार अप्रार्थीगण को हिस्सा मृतक सन्तो बेवा छुट्टन से विरासत से प्राप्त होना प्रतित होता है। शेष आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विवादित आराजी प्रथम दृष्टया पैतृक सिद्ध हों। इस प्रकार केवल खसरा नम्बर 995/210 की हद तक प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रतीत होता है। इसलिए केवल खसरा नम्बर 995/210 वाके ग्रम कुरेड़ी में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक ग्राम कुरेड़ी में स्थित आराजी ख० नं0 995/210 रकबा 3 बीघा का बेचान नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:54 IST
Reason: SelfAttested

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)